

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर - 302005
(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक :- प2 (क)/अलेसे । लिंक न. 1527 / 11002-09

दिनांक :- 07/01/2016

आदेश संख्या : 170/2015-16

श्री किशन रामचन्द्र पद सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - प्रथम लिंक नं. 1527 कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, अजमेर - 20200 जिनकी जन्म तिथि 19/04/1956 है, ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 02/03/2016 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु अनुरोध किया है।

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996, के नियम 50 (1) के अन्तर्गत इन्हें दिनांक 02/03/2016 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत की जाती है।

श्री किशन रामचन्द्र की राजकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 27/02/1978 है।

वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प. 12(6)वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.2015 के क्रम में यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री किशन रामचन्द्र के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अंतर्गत कोई विभागीय जांच विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 19 के अंतर्गत कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।


(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक :- प2 (क)/अलेसे । लिंक न. 1527 / 11002-09

दिनांक :- 07/01/2016

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग राजस्थान जयपुर
2. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग राजस्थान अजमेर
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, अजमेर
4. कोषाधिकारी अजमेर
5. श्री/श्रीमति/सुश्री किशन रामचन्द्र , सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - प्रथम कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, अजमेर।
6. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
7. उपनिदेशक (एसीपी) को कम्प्यूटर पर अपलोड करने एवं पीआईएस रिकार्ड संधारण हेतु।
8. रक्षित पत्रावली / निजी पत्रावली


(डॉ मनीष शुक्ला)
(अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक I))